संख्या-77 /2018/300//अइतीस-5-2018-77 सम /2005

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 30 अगस्त, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा गत वर्षो में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के सापेक्ष सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या-747/डब्लू- 409(सेन्टेज)/2018 दिनांक 27 जुलाई, 2018 एवं पत्र संख्या-859/डब्लू- 409(सेन्टेज)/2018 दिनांक 21 अगस्त, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश जल निगम, जल संस्थान, झांसी एवं बांदा द्वारा कराये गये कार्यो के सापेक्ष अनुमन्य/ अवशेष सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम, जल संस्थान, बांदा एवं जल संस्थान, झांसी द्वारा कराये गये कार्यो के सापेक्ष अनुमन्य / अवशेष सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि में से रू0 2470.845 लाख (रूपये चौबीस करोड सत्तर लाख चौरासी हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

कार्यदायी संस्था का नाम	वित्तीय वर्ष	कुल प्रस्तावित सेन्टेज	प्रस्तावित सेन्टेज में से पूर्व में निर्गत सेन्टेज की धनराशि	अनूमन्य अवशेष सेन्टेज	अनुदान संख्या-13 में अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5(3-4)	6	7
उत्तर प्रदेश जल निगम	2017-18	11050.237	4884.657	6165.580	2351.405	2351.405
जल संस्थान झांसी	2017-18	71.925	0.00	71.925	48.163	48.163
जल संस्थान चित्रकूटधाम मण्डल बांदा	2017-18	71.925	0.00	71.925	48.163	48.163
	2016-17	238.959	142.317	96.642	23.114	23.114
योग		11433.046	5026.974	6406.072	2470.845	2470.845

(रूपये चौबीस करोड सत्तर लाख चौरासी हजार पॉच सौ मात्र)

(I) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोग्राम एकाउन्ट में जमा की जायेगी।

(II) प्रतिशत प्रभार की दर विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- ए-2-23/दस -2011 -17 (4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश ए-2-1606/दस -2014-17 (4)/75 दिनांक 11 नवम्बर,2014 में वर्णित दिशा-निर्देशों/ निहित व्यवस्था/ प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण करते हुए निर्माण कार्यो पर अनुमन्य सेन्टेज कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी।

(III) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(IV) धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

अ2